

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 76]

नई दिल्ली, सं.सवार, मार्च 1, 1976/फाल्गुन 11, 1897

No. 76]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 1, 1976/PHALGUNA 11, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 1st March 1976

G.S.R. 106(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 41-Customs, dated the 1st March, 1969, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts each of the articles specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under Item No. 8(2) of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), from so much of that portion of the duty of customs (which is specified in the aforesaid First Schedule) leviable thereon as is in excess of—

- (a) the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table where the standard rate of duty is leviable; and
- (b) the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table where the preferential rate of duty is leviable

THE TABLE

Serial No.	Name of article	Standard rate of duty	Preferential rate of duty
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Dates, dry, excluding seedless—			
(a)	Shekra or Shakeria, Sakina and Brami.	Rs. 250.00 per quintal	Rs. 250.00 per quintal less 10 per cent <i>ad valorem</i> .
(b)	Kapkapa, Chharra, Chupchap, Sarki, Sori, Omani and Bhatni	Rs. 200.00 per quintal	Rs. 200.00 per quintal less 10 per cent <i>ad valorem</i> .
(c)	All other qualities	Rs. 150.00 per quintal	Rs. 150.00 per quintal less 10 per cent <i>ad valorem</i> .
2 Dates, wet, excluding seedless, in bags, baskets, gunny cloth or matting bundles.			
		Rs. 100.00 per quintal	Rs. 100 per quintal less 10 per cent <i>ad valorem</i> .

[No. 25/F. No. S. 7/76-TRU]

LAJJA RAM, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1976

सां० का० नि० 106 (ख) :—केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 41-सीमा शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969 को अधिष्ठात करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट और भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की मध सं० 8 (2) के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को उस पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के उतने भाग से (जो उपर्युक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है) —

(क) जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में, विनिर्दिष्ट दर से अधिक है जहाँ कि शुल्क की मानक दर उद्ग्रहणीय होती है ; और

(ख) जो उक्त सारणी के स्तम्भ (4) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से अधिक है जहाँ सीमा शुल्क अधिमानी दर से उद्ग्रहणीय होती है ;

छूट देती है ।

सारणी

क्रम सं०	वस्तु का नाम	शुल्क की मानक दर	शुल्क की अभिमानी दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	खजूर, सूखे, बिना बीज वालों को छोड़ कर:-		
	(क) शेकरा या शार्करिया, सकीना और बामी	250 रु० प्रति क्विन्टल	250 रु० प्रति क्विन्टल जिस में से 10 प्रतिशत मूल्यानुसार कम किया जाएगा।
	(ख) कपकपा, छारा, चुपचाप, सरकी, सोरी, ओमानी और भटनी	200 रु० प्रति क्विन्टल	200 रु० प्रति क्विन्टल जिसमें से 10 प्रतिशत मूल्यानुसार कम किया जाएगा।
	(ग) अन्य सभी किस्में	150 रु० प्रति क्विन्टल	150 रु० प्रति क्विन्टल जिसमें से 10 प्रतिशत मूल्यानुसार कम किया जाएगा।
2	खजूर, गीना, जिनमें बिना बीज वाले शामिल नहीं हैं और जो थैलों, टोकियों, टाट, कपड़े या चट्टाईयों में बंद नहीं हो।	100 रु० प्रति क्विन्टल	100 रु० प्रति क्विन्टल जिसमें से 10 प्रतिशत मूल्यानुसार कम किया जाएगा।

[पं० 25/एफ० न० एस 7/76-टी आर यू]

लज्जा राम, उप-सचिव।

